महत्वपूर्ण एवं खास

कोविड-19 संक्रमण के चलते 91 विचाराधीन बंदियों को पेरोल पर छोड़ा गया

रायगढ़ । माननीय उच्चतम न्यायालय के जेलों में कोविड-19 वायरस के पुनः संक्रमण के मामलों को स्वतः संज्ञान में लेते हुए रिट याचिका के मामले में पारित आदेश अंतर्गत हाई पावर कमेटी की बैठक 12 मई 2021 में पारित संकल्पनुसार जिला जेल रायगढ़ एवं उप जेल सारंगढ़ में निरूद्ध विचाराधीन/रिमाण्ड प्रकरणों में बंदियों की सूची मंगायी गई थी। प्राप्त विचाराधीन बंदियों की सूची अनुसार विचाराधीन कैदियों की रिहाई के लिये हाई पावर कमेटी द्वारा तय किये गये मापदण्ड के आधार पर जिला न्यायालय रायगढ़ द्वारा 20 मई 2021 तक की स्थिति में कुल 91 बंदियों को अंतरिम जमानत/पेरोल का लाभ प्रदान किया जाकर छोड़ा गया है। अंतरिम जमानत/पेरोल पर छोटे गये विचाराधीन बंदियों को उनके घर तक पहुंचाने की कार्यवाही कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ द्वारा पैरालीगल वालिंटियर्स के सहयोग से सतत रूप से की जा रही है। अंतरिम जमानत/पेरोल पर विचाराधीन बंदियों को छोड़े जाने की कार्यवाही जिला जेल रायगढ़ एवं उप जेल सारंगढ़ से प्राप्त जानकारी के आधार पर समीक्षा उपरांत न्यायालय द्वारा आगामी दिवसों में भी की जायेगी।

महात्मा गांधी नेत्र चिकित्सालय को बनाया जाएगा कोविड आइसोलेशन वार्ड

❍ **कलेक्टर भीम सिंह ने किया निरीक्षण, जल्द आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर संचालन शुरू करने के दिये निर्देश**

रायगढ़। रायगढ़ के अशर्फी देवी चिकित्सालय के बाजू में स्थित महात्मा गांधी नेत्र चिकित्सालय को कोविड आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा। कलेक्टर भीम सिंह के निर्देश पर प्रशासन ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। आज सुबह कलेक्टर सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर सिंह ने पूरे अस्पताल परिसर का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के रेनोवेटेड हिस्से के हाल में कोविड मरीजों के लिए शुरुआत में 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश दिए। इसमें कोविड गाइडलाइन्स के अनुसार बेडिंग और पार्टीशन तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने पेशेंट एरिया को आइसोलेट करने तथा उनके लिए पृथक वाशरूम तैयार करने के लिए भी कहा। इसके साथ ही डॉक्टर्स चैम्बर तथा अन्य सारी व्यवस्थाएं करते हुए जल्द आइसोलेशन वार्ड का संचालन प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने चिकित्सालय के दूसरे हिस्से का भी निरीक्षण किया। जो जर्जर स्थिति में है तथा इसका रेनोवेशन किया जाना है। यहां उन्होंने पूरे भवन का अवलोकन कर तत्काल जरूरी मरम्मत के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। जिससे आने वाले समय में इस हिस्से में भी आइसोलेशन वार्ड शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि शुरुआत में इसे कोविड आइसोलेशन वार्ड के रूप में उपयोग किया जाएगा। आने वाले समय में जरूरत के अनुसार इसे कोविड केयर सेंटर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के निर्माण और संचालन के संबंध में विस्तार से जानकारी भी ली। कलेक्टर सिंह ने निरीक्षण के दौरान अशर्फी देवी चिकित्सालय के रेनोवेशन कार्य का भी जायजा लिया।

पाजिटिविटी दर में कमी लाने ग्राम स्तर पर करनी होगी सख्त मॉनिटरिंग-सिंह

कलेक्टर सिंह ने रायगढ़ विकासखंड के सरपंच और सचिवों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की चर्चा

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रायगढ़ विकासखंड के सरपंचों व सचिवों की कोरोना प्रबंधन पर बैठक ली। सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल भी बैठक में सम्मिलित हुए। कलेक्टर सिंह ने सरपंचों और सचिवों से गांवों में पाजिटिविटी तथा मृत्यु दर में कमी लाने के उपायों पर चर्चा की।

कलेक्टर सिंह ने सभी सरपंचों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामले जिस तरह से रायगढ़ जिले में आये हैं। इसको देखते हुए विकासखंड वार जब पॉजिटिविटी रेट तथा मृत्यु दर का अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि रायगढ़ विकासखंड खासकर लोइंग के अंतर्गत आने वाले गांव में कोरोना संक्रमण दर काफी अधिक है। यह जिले के पाजिटिविटी दर से ज्यादा है। इसे नियंत्रित करना हम सब की पहली जिम्मेदारी है। जिला स्तर से इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रयास

किए जा रहे हैं। किन्तु गांव तथा जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन तभी सफल हो पाएगा जब संबंधित गांव के जनप्रतिनिधि इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि सभी अपने गांव के अंतर्गत होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज तथा उनके परिवार वालों से गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करवाएं। उन्हें आवश्यकता का सामान उनके घर में पहुंचा कर दें। उनके द्वारा सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग को रोकें। उल्लंघन करने वालों की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दें। जिससे उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने गांव में सभी को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा। इस संबंध में कलेक्टर सिंह ने बताया कि उनके घर के 10 से 12 स्टाफ पॉजिटिव आये जिनमें उनके ड्राइवर और गनमैन भी शामिल थे, किन्तु हमेशा मॉस्क लगाने के कारण मैं संक्रमण से बचा रहा। यह दिखाता है कि नियमित रूप से और सही तरीके से मॉस्क लगाने से संक्रमित होने से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि गांवों में मितानिनों को लक्षणात्मक मरीजों के लिए दवाई के किट और ऑक्सिमीटर दिए गए हैं। इसका उपयोग कर मरीजों के ऑक्सीजन लेवल मापते रहने के लिए कहा। जिससे मरीज की स्थिति पर नजर रखी जा सके। ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे जाने पर तत्काल उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। इससे सही समय पर उसे ऑक्सीजन और इलाज मिल सके तथा मरीज को गंभीर अवस्था में जाने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि अधिकांश मामलों में मरीज ऑक्सीजन का लेवल काफी कम होने पर पहुंचते हैं। जिससे उन्हें बचा पाना मुश्किल होता है। कोरोना की इस लहर में युवा बड़ी संख्या में चपेट में आये हैं। ऐसे में सभी को अत्यंत सतर्क रहने की जरूरत है।

कलेक्टर सिंह ने आगे कहा कि विकासखंड में कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने में सरपंच सचिव महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वैक्सीनेशन में जिसका असर दिखा भी है। आज रायगढ़ जिला कोविड वैक्सीनेशन में दूसरे जिलों से कहीं आगे चल रहा है। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के पहले डोज के मामले में रायगढ़ जिले में 1 माह पहले ही शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। यह ग्राम स्तर पर सरपंच और सचिवों की जागरूकता व सक्रियता से ही संभव हो सका है।

इस दौरान कलेक्टर सिंह ने विकासखंड के उन गांवों के सरपंचों से भी बात की जहां पिछले दिनों कोविड के मामले अधिक आये हैं। उन्होंने सरपंचों से उनके गांव में ज्यादा मामले आने के कारणों पर विस्तार से चर्चा की। अधिकांश लोगों ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों के समीप स्थित होने के कारण लोगों का काम के सिलसिले में आना जाना होता है। जिससे संक्रमण के मामले बढ़े हैं। कलेक्टर सिंह ने इन गांवों के जनप्रतिनिधियों को अपने स्तर पर ग्रामीणों के बीच कोविड से बचाव के लिए जागरूकता फैलाने, नियमों का सख्ती से पालन करने तथा अनिवार्य रूप से टीकाकरण करवाने के लिए कहा। जिससे तेजी से संक्रमण दर में कमी लायी जा सके। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को भी इन गांव में लगातार निरीक्षण करने व पुलिस के माध्यम से पेट्रोलिंग करवाने के निर्देश दिए।

जिला पंचायत सीईओ डॉ.रवि मित्तल ने इस दौरान कहा कि संक्रमण की रोकथाम के लिए ग्रामीण स्तर पर स्व अनुशासन से गाइडलाइन्स का पालन करना होगा। गांवों में मनरेगा के कार्य संचालित हैं इस दौरान भी नियमों के पालन में खास ध्यान देना होगा। इसके लिए सरपंच सचिवों को विशेष मॉनिटरिंग करनी होगी।

ऑनलाइन आयोजित इस बैठक में एसडीएम रायगढ़ युगल किशोर उर्वशा, सीईओ जनपद पंचायत सागर सिंह राज, डीपीएम एनआरएलएम अविक बासु सहित विकासखंड के 128 गांवों के सरपंच व सचिव शामिल हुए।

ऑनलाइन दोस्ती पड़ सकती है महंगी, सोशल मीडिया पर हैं अनेक फेक अकांउट

» **ऐसे लोगों से सावधान रहने सोशल मीडिया पर एसपी संतोष सिंह कर रहे लोगों को जागरूक**

रायगढ़। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऑनलाइन दोस्ती कर वीडियो चैट सेव कर फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर पैसे ऐंठने का काम करने वाला सायबर्स क्रिमीनल काफी सक्रिय है। पुलिस अधीक्षक बताये कि रायगढ़ जिले में अभी तक इस तरह के कुल 4 साइबर फ्रॉड की शिकायत आई है, जिसमें से एक रायगढ़ के ही सम्मनित पत्रकार द्वारा शिकायत दी गई थी।

पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा अपने ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज के माध्यम से लोंगो को इस तरह अंजान लोगों से सतर्क रखने कहा जा रहा है। साथ ही इस प्रकार की शिकायत थानों में करने की अपील की गई है जिससे इन सायबर्स क्रिमीनल पर कानूनी कार्यवाही की जा सके। इस अपील के बाद बहुतायत संख्या में लोंगो द्वारा ऐसे साइबर फ्रॉड होने की जानकारी दी जा रही है।

नाबालिग बालक को बोर मशीन में काम कराने असम लेकर जाने वाला आरोपी गिरफ्तार

» **आरोपी गिरफ्तारी के भय से दो महीने से जंगल में बनाया था डेरा, एक साथी पूर्व में हो चुका है गिरफ्तार**

» **आरोपियों पर मानव तस्करी, प्लेसमेंट एक्ट और बाल श्रम के तहत पेश होगा चालान**

लैलूंगा। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा गत दिनों क्राइम मीटिंग में थाना प्रभारी लैलूंगा को मानव तस्करी के लंबित प्रकरण में फरार आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में चर्चा किये। थाना प्रभारी बताये कि फरार आरोपी बनमाली यादव गिरफ्तारी के भय से घर में न होकर जंगल में छिपे होने की सूचना मिल रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरा जंगल सर्च कर शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी का निर्देश थाना प्रभारी को दिये , जिस पर थाना प्रभारी द्वारा हमराह सहायक उपनिरीक्षक विजय गोपाल, आरक्षक अमरदीप एक्का,

मयाराम राठिया, राजू तिग्गा के साथ धुमागुडा के जंगल में सर्च ऑपरेशन कर आरोप बनमाली यादव को हिरासत में लेकर थाना लाया गया।

जानकारी के अनुसार थानाक्षेत्र में रहने वाले 16 वर्षीय बालक की मां दिनांक 03/03/2021 को थाना लैलूंगा में उसके नाबालिग बालक को लल्लू गांडा और बनमाली महकुल दोनों निवासी आमापाली लैलूंगा द्वारा अवैध लाभ प्राप्त करने के लिये बालक को सितम्बर 2020 से अपने साथ मार्शल वाहन में बिठाकर ले गये। दोनों गांव आ गये पर बालक नहीं आया। तब उनसे पूछी तो बोले तुम्हारा बेटा असम शहर में गुम गया हमको कोई पता नहीं है और कहां गया उसे भी नहीं जानते हैं। बालक की मां उनसे बालक को खोजकर लाओ कहकर गुहार लगाती रही पर वे ध्यान नहीं दिये। तब उच्च कार्यालय एवं थाने में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई, रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 66/2021 धारा 370 भादवि, 9 प्लेसमेंट, 14 बाल श्रम अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के आरोपी लल्लू उर्फ लालकुमार चौहान पिता सुकरूराम चौहान उम्र 27 वर्ष निवासी आमापाली को चार दिन पहले गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। दोनों आरोपी रिपोर्ट दिनांक से गिरफ्तारी के भय से फरार थे। आरोपी बनमाली यादव कभी गांव कभी जंगल में अपना लुक छिप कर रह रहा था। कई बार पुलिस उसके गांव में दबिश दी पर आरोपी पकड़ में नहीं आ पा रहा था। पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन पर धुमागुड़ा जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाकर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया जिसे आज दिनांक 21/05/2021 को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। बालक की मां बताई कि बालक का अब तक पता नहीं चला है, आरोपियों पर कार्यवाही का दबाव बनाने के बाद उनके द्वारा बालक की गुम रिपोर्ट असम में दर्ज कराई गई है।

शादी घर में बाहर से आये थे मेहमान, सझाइश के बाद भी मास्क, सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं

» **दुल्हे के पिता पर लैलूंगा पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, ग्राम सराईमुड़ा का मामला**

लैलूंगा। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराये जाने के बाद से शहरों में कोरोना संक्रमित मरीजों का मिलना गांव की अपेक्षा कम हो रहा है। गांव में अभी भी लोग शादी घर, गांव के निस्तारी स्थान, चौपाल जैसी जगहों में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के थाना प्रभारियों को गांव में विशेष कर शादी घर, निस्तारी स्थान, चौपाल पर भीड़ लगाकर बैठे लोगों

पर कार्यवाही का निर्देश दिया गया है। निर्देशों के तहत दिनांक 20/05/2021 को थाना लैलूंगा प्रभारी निरीक्षक एल.पी. पटेल हमराह आरक्षक अमरदीप एक्का एवं मयाराम राठिया के साथ ग्राम राजपुर, सराईपाली, बगुडेगा की ओर पेट्रोलिंग करते हुये बेरियर चेकिंग, बिना मारक की कार्यवाही, एम.व्ही. एक्ट किया जा रहा था। इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि ग्राम सराईमुड़ा का जयलाल भगत पिता बलेराम भगत उम्र 45 वर्ष अपने लड़के धनतराम की शादी सामाजिक रीति रिवाज से कर रहा है। शादी में ग्राम चारपाली, गोपालपुर डभरा से बहुत से लोग शामिल होने आये हैं। शादी घर में सोशल-डिस्टेसिंग का पालन नहीं कर रहें हैं न ही शादी में शामिल लोग सनेटाईजर मास्क / फेस कवर का प्रयोग किया जा रहा है। पुलिस टीम जब शादी घर पहुंची तो घर अन्दर इक्ट्ठे लोग नाच गाना कर रहे थे। गांव का कोटवार और सरपंच बताए कि दुल्हे के पिता को समझाये भी थे पर वे कोविड गाइडलाईन का पालन करने को तैयार नहीं थे। थाना प्रभारी द्वारा जयलाल भगत से एसडीएम से लिये गये शादी परमीशन की मांग किये तो जयलाल भगत परमीशन नहीं लेना बताया। टीआई लैलूंगा द्वारा जयलाल भगत पर थाना लैलूंगा में अप.क्र. 136/2021 धारा 269,270 भादवि पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है।

मोबाइल वेरिफिकेशन का दिख रहा असर, अनट्रेसड नंबर्स हो रहे जीरो, कलेक्टर की पहल पर शुरू की गयी है व्यवस्था

रायगढ़ । कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किये जा रहे प्रयासों के बीच अनट्रेस केसेस को ट्रैक करना जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहा है। अनट्रेस केस उन्हें कहा जाता है जो टेस्टिंग के दौरान गलत मोबाइल नंबर या जो चालू नही हैं ऐसे नंबर दे दिया करते थे। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ऐसे लोगों को खोजने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती रही है। कलेक्टर भीम सिंह की पहल पर अनट्रेसेस केसेस की संख्या घटा कर शून्य करने के लिए एक पृथक व्यवस्था शुरू की गई। जिसके तहत टेस्टिंग सेंटर में सैंपल देने के दौरान ही संबंधित व्यक्ति की मोबाइल नंबर और कांटेक्ट डिटेल वेरीफाई कर लिया जाता है। नंबर गलत हो या बंद हो तो चालू और सही नंबर की जानकारी ली जाती है तथा इसकी एंट्री सैंपल लेने के दौरान कर ली जाती है। यह व्यवस्था जिले के सभी टेस्टिंग सेंटर्स में शुरू की गयी है। इसके बाद यदि संबंधित व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसके नंबर पर तत्काल संपर्क कर होम आईसोलेशन या हॉस्पिटल शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। इसका फायदा यह हो रहा है कि पॉजिटिव आये व्यक्तियों की रिपोर्ट मिलने के बाद तुरंत पहचान कर आईसोलेट किया जा रहा है जिससे संबंधित व्यक्ति का समय से इलाज शुरू हो और संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जा सके। मोबाइल नंबर वेरीफिकेशन का काम जिले के सभी टेस्टिंग सेंटर में किया जा रहा है। इसके लिये अलग से शिक्षकों की ड्यूटी टेस्टिंग सेंटर में लगाई गई है। प्रतिदिन इसकी रिपोर्टिंग भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जा रही है।

प्राप्त जानकारी अनुसार 20 मई को जिले के टेस्टिंग सेंटर्स में कुल 1303 कोविड टेस्ट कराये गये है। टेस्टिंग के दौरान सभी के फोन नंबर को वेरीफाई किया गया। जिसमें से 8 लोगों के नंबर गलत मिले जिसको सुधरवाकर सही नंबर एन्ट्री करवायी गई। इस प्रकार सभी 1303 लोगों के सही कांटेक्ट नंबर की एन्ट्री की गई। जिससे अन्ट्रेस नंबर शून्य रहा। इसी प्रकार 19 मई को 1325 सेम्पलों का परीक्षण किया गया।

कंटेनमेंट जोन के लोग न हों परेशान, पुलिस करेगी मददः एसपी संतोष सिंह

» **कंटेनमेंट जोन के रहवासियों से मिले एसपी, इंटर स्टेट बेरियर, वैक्सीनेशन सेंटर और शहर के चेक पाइंट का कएि निरीक्षण**

रायगढ़। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में एसपी, एडिशनल एसपी, सीएसपी व थाना प्रभारियों द्वारा कंटेनमेंट जोन, बेरियर, चेक पाइंट का निरीक्षण एवं कर्फ्यू के उल्लंघनकारियों पर जमकर कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह द्वारा आज शहर में बने वैक्सीनेशन सेंटर जतन, जामगांव कंटेनमेंट जोन, इंटर स्टेट बेरियर महापल्ली तथा शहर के सभी चेक पांइट का निरीक्षण कर अधिकारियों व कर्मचारियों को सुरक्षा व जांच

संबंधी महत्वपूर्ण दिया निर्देश दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना, चौकी प्रभारियों को 10 से अधिक पॉजिटिव केसेस वाले कंटेनमेंट जोन में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिये गये हैं। आज वे स्वयं ऐसे कंटेनमेंट जोन लोईंग, महापल्ली, जामगांव की सुरक्षा व्यवस्था देखने पहुंचे। उनके साथ नगर पुलिस अधीक्षक अविनाश सिंह, थाना प्रभारी चक्रधरनगर अभिनव कांत सिंह थे। कंटेनमेंट जोन के सरपंच, सचिव, बीडीसी को पुलिस अधीक्षक द्वारा संक्रमित लोगों से पूरे क्वॉरेंटाइन समय का पालन करने कहा गया, साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों की सूचना देने निर्देशित किये हैं। उनके द्वारा थाना प्रभारी चक्रधरनगर को इन क्षेत्रों में लगातार पेट्रोलिंग कराने के निर्देश दिये गये। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस दौरान वहां रह रहे लोगों से सोशल डिस्टेसिंग बनाकर चर्चा किये। चर्चा में कंटेनमेंट जोन में राशन की आपूर्ति को लेकर आ रही समस्या पर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी को थोक विक्रेता के मार्फत राशन व अन्य आवश्यक वस्तुएं शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। साथ ही ग्राम प्रमुखों को बताया गया कि ऐसी कोई भी समस्या आने पर सूचना देंवे जिससे उसका निदान किया जा सके। कंटेनमेंट जोन के निरीक्षण के बाद पुलिस अधीक्षक महापल्ली स्थित इंटर स्टेट बेरियर चेक किया गया। उपस्थित मिले कर्मचारियों से जानकारी लिये और रजिस्टर चेक किये। उन्होंने ओडिशा से आ रहे लोगों को कोविड जांच के बाद जिले में प्रवेश की व्यवस्था को इसी प्रकार बनाये रखने का निर्देश दिया गया है। आज कंटेनमेंट जोन निरीक्षण के पूर्व पुलिस अधीक्षक शहर के वैक्सीनेशन सेंटर जतन की सुरक्षा व्यवस्था देखा गया। वहां मौजूद मेडिकल सर्पोटेड स्टाफ से व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा किये।

पुलिस अधीक्षक के साथ आज एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा, सीएसपी अविनाश सिंह व थाना प्रभारियों द्वारा शहर के सभी मुख्य चेक पांइट पर आने-जाने वालों से पूछ परख किये, इस दौरान कई जगह पर उल्लंघनकारियों से जुर्माने का चालान कटवाया गया, साथ ही चौंक पर कई उल्लंघनकारियों को हाथ ऊपर कर खड़े रहने का दंड मिला।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480